

प्रेस नोट थाना एम्स जनपद गोरखपुर दिनांक 24.06.2024

जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के उल्लंघन करने के आरोप में 01 नफर जिला बदर अपराधी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, स0पु0अ0/ क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक एम्स के नेतृत्व में उ0नि0 अनीष कुमार शर्मा मय पुलिस टीम द्वारा जिला बदर अपराधी अमरजीत जायसवाल जिसको जिलाधिकारी गोरखपुर महोदय के आदेश के क्रम में थाना कोतवाली जनपद देवरियां में दिनांक 27.04.2024 से 06 माह तक के लिए आमद कराया गया था जो वर्तमान समय में जिलाधिकारी महोदय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपने घर रुद्रापुर टोला कुसुम्ही बाजार में रह रहा था। अभियुक्त उपरोक्त को जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के उल्लंघन करने पर गुण्डा अधिनियम की धारा 10 के तहत गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जिलाबदर अभियुक्त का नाम व पता-

अमरजीत जायसवाल पुत्र स्व0 सीताराम जायसवाल निवासी रुद्रापुर टोला कुसुम्ही बाजार थाना एम्स जनपद गोरखपुर

जिला बदर अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 316/2024 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना एम्स जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 021/2019 धारा 504, 506 भादवि0 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 049/2019 धारा 504, 506 भादवि0 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 433/2018 धारा 195, 511, 120बी भादवि0 व 7/25 आर्म्स एक्ट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
5. मु0अ0सं0 475/2018 धारा 323, 452, 504, 506 भादवि0 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
6. मु0अ0सं0 536/2021 धारा 323, 342, 420 भादवि0 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
7. मु0अ0सं0 786/2022 धारा 504, 506 भादवि0 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 अनीश कुमार शर्मा चौकी प्रभारी झरनाटोला, थाना एम्स, जनपद गोरखपुर
2. का0 प्रवीण यादव, थाना एम्स, जनपद गोरखपुर